

20<sup>08</sup>/<sub>25</sub>

पञ्चवली पेशुडी त्रिजिअपड उरुअपड उरु  
वारी का काम पुकास उरुअन पु उरुअन करे हे  
उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन  
उरुअन उरुअन 10<sup>09</sup>/<sub>25</sub> को पेशुडी

10<sup>09</sup>/<sub>25</sub>

पञ्चवली पेशुडी त्रिजिअपड उरुअपड उरु  
वारी का काम पुकास उरुअन पु उरुअन करे हे  
उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन  
उरुअन उरुअन 17<sup>09</sup>/<sub>25</sub> को पेशुडी

17<sup>09</sup>/<sub>25</sub>

पञ्चवली पेशुडी त्रिजिअपड उरुअपड उरु  
उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन  
उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन  
उरुअन उरुअन 24<sup>09</sup>/<sub>25</sub> को पेशुडी

24<sup>09</sup>/<sub>25</sub>

पञ्चवली पेशुडी त्रिजिअपड उरुअपड उरु  
उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन  
उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन  
उरुअन उरुअन 29<sup>09</sup>/<sub>25</sub> को पेशुडी

29<sup>09</sup>/<sub>25</sub>

पञ्चवली पेशुडी त्रिजिअपड उरुअपड उरु  
वारी का काम पुकास उरुअन पु उरुअन करे हे  
उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन  
उरुअन उरुअन 06<sup>10</sup>/<sub>25</sub> को पेशुडी

06<sup>10</sup>/<sub>25</sub>

पञ्चवली पेशुडी त्रिजिअपड उरुअपड उरु  
उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन  
उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन उरुअन  
उरुअन उरुअन 30-05-2021 को उरुअन उरुअन उरुअन

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
श्री... (राज)

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।</p>
-----------------------	--	--

वासी की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों द्वारा  
 कायम मुकाम का आवेदन 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत  
 करना आवश्यक होता है 90 दिन बीतने पर वाड  
 खतः उपशान्त हो जायगा है इसके 60 दिनों के भीतर  
 उपशान्त निरवकाश का आवेदन देकर पुनर्जीवित  
 करा जा सकता है इस प्रकार कुल 150 दिन के  
 भीतर उत्तराधिकारियों द्वारा कायम मुकाम प्राप्ति का  
 प्रयत्न किया जा सकता है किन्तु प्रकृत में पंच 7 माह  
 के अन्तर्गत कायम अर्थात् हो जाने के पश्चात भी  
 वासी के उत्तराधिकारियों एवं वासी के अधिवक्ता द्वारा  
 किसी प्रकार की कोई वाजिबगी वसी की गई है यदि  
 आपाएक द्वारा कोई अवसर प्राप्त किया जाये तो वाड  
 मृत्यु वासी के वारिसों को रेकॉर्ड पर लेने की कोई  
 वाजिबगी वसी अधिवक्ता द्वारा एवं वसी उत्तराधिकारियों  
 वास की गई है इसके अतिरिक्त वे प्रकृत में  
 वासी अधिवक्ता एवं वसी के विधिगत उत्तराधिकारियों वास,  
 तत्पश्चात का कोई परिश्रम वसी दिना तथा वसी वसी  
 कोई परिश्रम मानी जा सकती है निरवकाश  
 परिश्रमों वाजिबगी के अधिवक्ता के नियंत्रण में  
 हो कर वाड वासीगत उपशान्त (abate) हो जाने  
 के इसी खत पर तदनुषंगी तदनुषंगी में कोई  
 किया जाता है इसी जारी है, पञ्चवली के अन्तर्गत  
 खत वाड के अन्तर्गत वाड राखना राखित  
 40 माह की

उपखण्ड अधिकारी  
 एवं सहायक कलेक्टर  
 शाहपुरा, जिला-मौलवाड़ा (राज.)